सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या – 453 राँची, शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

24 अगस्त, 2022

संख्या-16/प्र०सु०-02-05/2014 का. 5379--विभागीय अधिसूचना संख्या-5637 दिनांक-25.06.2015 द्वारा **झारखण्ड आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति नियमावली, 2015** का गठन किया गया है ।

2. उक्त नियमावली के नियम-5 के अनुसार "आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उभयकाल दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारी कर्मियों/अन्य कार्यरत कर्मियों पर समान रूप से लागू होगा बशर्ते ऐसे कर्मी न्यूनतम 3 माह की अवधि के लिए नियोजित किये गये हैं। इसमें संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मी भी शामिल रहेंगे। यदि नियोजन 3 माह की अवधि से कम हो तो सम्बन्धित कार्यालय/विभाग पूर्व की व्यवस्थानुसार उपस्थिति का अभिलेखन अनुरक्षित करेंगे ।"

3. उक्त नियमावली के नियम-11 के तहत निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थिति के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रावधान किये गये है :-

(क) नियम 11 (ii)- ऐसे कर्मी जो सरकारी कार्यवश भ्रमणशील रहते हैं तथा कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना इनके लिए सम्भव नहीं होता है, वे अपने नियंत्री पदाधिकारी से पूर्वानुमति लेकर अपने भ्रमण क्षेत्र में निकटतम अधिष्ठापित बायोमैट्रिक उपकरण में उपस्थिति दर्ज करेंगे ।

(ख) नियम 11 (iii)- यदि ऐसे क्षेत्र में भ्रमणशील होना है जहाँ बायोमैट्रिक उपकरण उपलब्ध नहीं है, तो अपने नियंत्री पदाधिकारी को भ्रमण कार्यक्रम के माध्यम से अवगत करायेंगे। ऐसे मामलों में कार्यालय प्रधान/नियंत्री पदाधिकारी के स्तर से समुचित निर्णय लिया जायेगा तथा उपस्थिति विनियमित करते हुए ऑनलाईन अद्यतनीकरण किया जायेगा ।

4. साथ ही उक्त नियमावली के नियम-16 के अनुसार "किसी उपबन्ध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अन्तिम होगा ।''

5. मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक-25.04.2022 को आयोजित UID कार्यान्वयन समिति की 19वीं बैठक की कार्यवाही की कार्यावली 1.1 में लिए गए निर्णय के आलोक में क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को झारखण्ड आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति नियमावली, 2015 के नियम-5 एवं नियम-11 (ii), (iii) के अंतर्गत बायोमैट्रिक प्रणाली अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करने से छूट प्रदान किया जाता है ।

6. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

सुनील कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 453 – 50